सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **262/2017** दायर दिनाँक **15.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बिरबलराम पुत्र मदनलाल, उम्र—38साल, जाति—बावरी, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,	बनाम्	1. राजकुमारी पत्नी घनश्याम, जाति—मेघवाल, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. जमनादेवी पत्नी रामदेवाराम, 3. देवली पत्नी देवाराम, 4. सुनिता पुत्री भँवरलाल, 5. भँवरीदेवी उर्फ बिड़दुदेवी पत्नी गंगाराम, 6. मदनलाल पुत्र नारायणराम, 7. नेमीचन्द पुत्र केसाराम, 8. सुरेश पुत्र केसाराम, 9. बजरंगलाल पुत्र केसाराम, 10. राजेन्द्र पुत्र केसाराम, 11. परमेश्वरलाल पुत्र केसाराम, 12. शन्तिदेवी पत्नी केसाराम, समस्त,जाति—रेगर, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 188, R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री अजीतसिंह राठौड व श्री नेमीचन्द शर्मा, वकुलाय, वादी।
2. श्री नागपालसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 04 व 11 की ओर से।
3. श्री नरेन्द्रसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 05, 06, 07 व 12 की ओर से।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 262/2017
दायर दिनाँक 15.09.2017, निर्णय दिनाँक 20.03.2018
बिरबल बनाम् राजकुमारी, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 20.03.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद तोषीणा में खसरा नम्बर 680 रकबा 41.09 बीघा भूमि है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 60/829 हिस्सा रकबा 03.00 बीघा वादी के कब्जाकाश्त की भूमि है। नकल पेश है।

वादग्रस्त भूमि का वादी व प्रतिवादीगण ने बन्ट कर हिस्सेदार काबिज हैं। वादी अपने हिस्से रकबा 03.00 बीघा पर नजरीनक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी डी पर काबिज है। नजरीनक्शा अनुसूची "अ" दावा का अहम् भाग है।

बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के बीच विवाद रहता है व प्रतिवादीगण वादी के जायगा पर अतिक्रमण कर निर्माण करने पर आमादा है। इसलिए दावा बाबत् बन्टवारा पेश है। बिनाय दावा दिनाँक 05.07.2017 को पैदा हुआ है।

प्रार्थना वादी है कि–

वाकै शरहद तोषीणा में खेत खसरा नम्बर 680 रकबा 41.09 बीघा का विधिवत् बन्टवारा कर वादी को रकबा 03.00 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 680 का वाद के साथ संलग्न नजरीनक्शा में वर्णित मार्क ए बी सी डी भूमि को अलग कर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 262 / 2017
दायर दिनाँक 15.09.2017, निर्णय दिनाँक 20.03.2018
बिरबल बनाम् राजकुमारी, वगैरा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 13 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 08, 09, 10 व 13 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07, 11 व 12 ने राजीनामें पेश किये। राजीनामों की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकुलाय श्री अजीतसिंह राठौड़ व श्री नेमीचन्द ने की तथा प्रतिवादीगण की पहचान वकुलाय श्री नागपालसिंह व श्री नरेन्द्रसिंह ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामें तस्दीक किये गये।

राजीनामों के मुताबिक, राजीनामों के संलग्न पेश नजरीनक्शों के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान् दावा डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, नजरीनक्शा अनुसूची "अ" जमाबन्दी ग्राम तोषीणा सम्वत् 2071–2074 खेवट संख्या 362 / 131 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक दावा डिक्री जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अतः, वाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद तोषीणा में खसरा नम्बर 680 रकबा 41.09 बीघा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवारा कर, राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "स" में दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि रकबा 03.00 बीघा भूमि का वादी को व मार्क एफ जी डी ई की भूमि रकबा 07.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची "स", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 20.03.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **262/2017** दायर दिनाँक **15.09.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. बिरबलराम पुत्र मदनलाल, उम्र—38साल, जाति—बावरी, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान,	बनाम्	1. राजकुमारी पत्नी घनश्याम, जाति—मेघवाल, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. जमनादेवी पत्नी रामदेवाराम, 3. देवली पत्नी देवाराम, 4. सुनिता पुत्री भँवरलाल, 5. भँवरीदेवी उर्फ बिड़दुदेवी पत्नी गंगाराम, 6. मदनलाल पुत्र नारायणराम, 7. नेमीचन्द पुत्र केसाराम, 8. सुरेश पुत्र केसाराम, 9. बजरंगलाल पुत्र केसाराम, 10. राजेन्द्र पुत्र केसाराम, 11. परमेश्वरलाल पुत्र केसाराम, 12. शन्तिदेवी पत्नी केसाराम, समस्त,जाति—रेगर, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—53, 188, R.T.Act.

दिनाँक **20.03.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अजीतसिंह राठौड व श्री नेमीचन्द शर्मा, वकुलाय, वादी व श्री नागपालसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 04 व 11 की ओर से व नरेन्द्रसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 05,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

06, 07 व 12 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, शरहद तोषीणा में खसरा नम्बर 680 रकबा 41.09 बीघा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के बन्टवारा कर, राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची ''स'' में दर्शित मार्क ए बी सी डी की भूमि रकबा 03.00 बीघा भूमि का वादी को व मार्क एफ जी डी ई की भूमि रकबा 07.00 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खातेदारी बदस्तूर जारी रहेगी। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। राजीनामा के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूची ''स'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **20.03.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner